

# उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ०प्र० सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ  
वेबसाइट: [hajcommittee.up.gov.in](http://hajcommittee.up.gov.in) ; ई-मेल : [shcuplko@rediffmail.com](mailto:shcuplko@rediffmail.com);

पत्रांक : जी- 11/3527/एस.एच.सी/2024

दिनांक : 24/02/2024

—: प्रेस विज्ञप्ति :—

1. हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा सकुर्लर-10 दिनांक 23 फरवरी, 2024 जारी किया है जिसमें हज-2024 के प्रत्येक चयनित हज यात्री को अपनी द्वितीय किस्त रु 1,70,000/-जमा करने के निर्देश दिये गये हैं।
2. द्वितीय किस्त दिनांक 24.02.2024 से 10.03.2024 तक जमा की जा सकेगी।
3. चयनित हज यात्रियों को धनराशि ऑनलाइन वेबसाइट <https://hajcommittee.gov.in> पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यू०पी०आई के माध्यम से जमा करने की सुविधा दी गयी है। धनराशि हज कमेटी आफ इण्डिया के स्टेट बैंक आफ इण्डिया व यूनियन बैंक आफ इण्डिया के खाते में भी जमा कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक कवर को जारी बैंक रेफरेंस नम्बर अंकित करना होगा।
4. तृतीय किस्त हवाई जहाज का किराया व सऊदी अरब में अन्य व्ययों का निर्धारण होने पर सूचित किया जायेगा।

(एस०पी० तिवारी)  
सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० को मा० मंत्री जी को अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज को मा० मंत्री जी को अवगतार्थ।
3. मा० अध्यक्ष/सदस्यगण, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० शासन।
5. निदेशक, उ०प्र० अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. समस्त ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
7. समस्त ई-सुविधा केन्द्र, समस्त जनपद, उ०प्र०।
8. ज़िला सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।

(एस०पी० तिवारी)  
सचिव/कार्यपालक अधिकारी